बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

<u>डेबिट कार्ड संव्यवहारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिसूचना</u>

प्रिय ग्राहक,

डेबिट कार्ड संव्यवहारों की सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त सलाह की दृष्टि से बैंक के डेबिट कार्ड के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

- जिन मौजूदा कार्डों का इस्तेमाल ई-कॉमर्स और/ या कंटेक्टलेस और/ या अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार चैनलों के लिए कभी भी नहीं किया गया है, उन्हें संबंधित प्रकार के संव्यवहारों हेतु अक्षम कर दिया गया है, तथापि ग्राहक अपनी निकटतम शाखा में अनुरोध कर इसे सक्षम कर सकते हैं।
- कार्ड संव्यवहारों की सुरक्षा बेहतर करने के लिए एटीएम, पीओओस, ई-कॉमर्स एवं कंटेक्टलेस हेतु चैनल ऑन/ ऑफ सुविधा की शुरूआत की गई है और अब यह विकल्प निकटतम शाखा में अनुरोध आधार पर उपलब्ध है।
- अब ग्राहक डेबिट कार्ड हेतु एटीएम, पीओएस, ई-कॉमर्स तथा कंटेक्टलेस चैनलों के लिए अलग-अलग सीमा भी रख सकते हैं।
- 01 अक्तूबर 2020 को या उसके बाद जारी सभी नए कार्ड बाय-डिफॉल्ट केवल एटीएम एवं पीओएस घरेलू चैनलों हेतु ही सक्षम रहेंगे। तथापि, ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर शाखा द्वारा कार्ड को ई-कॉमर्स एवं कंटेक्टलेस चैनलों हेतु भी सक्षम किया जा सकता है।

ग्राहकों हेतु इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधा के माध्यम से भी चैनल को सक्षम/ अक्षम करने तथा कार्ड सीमा अपडेशन की सुविधा 24X7 शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी।

महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी